

## **PRESS NOTE**

**Sub: Inviting claims/ objections on the provisional seniority list (Type-wise/ Category-wise) for Allotment of Govt Accommodations under General Pool for the Session 2023-24 - regarding.**

The Housing and Estate Section, A & N Administration, Secretariat had invited fresh online applications for allotment of Government Accommodations under General Pool vide Admn.'s Press Note/Circular No.1-167/2021/H&E/Vol-IV dated 29/03/2023. Based on the online applications received from Govt. servants duly verified by the concerned DDOs/HOOs, a provisional type-wise/category-wise seniority list has been generated and the same is available in the Homepage of AAGA portal under Seniority List (General Pool) i.e, <https://aaga.andaman.gov.in> for information of the Govt. servants. Applicants may submit claims/objections, if any, related to their seniority to the Assistant Secretary (H&E), Secretariat upto **15/05/2022 by 05.00 PM** through their respective DDOs/HOOs, otherwise, the provisional seniority list shall be treated as final seniority list.

.\_\*.\_\*.\_\*.\_\*.\_

## प्रेस सूचना

**विषय : सत्र 2023-24 हेतु सामान्य पुल के अंतर्गत सरकारी आवास आवंटन हेतु अनंतिम वरिष्ठता सूची आपत्ति आमंत्रित करने/पर दावा (श्रेणीवार/टाइपवार)के संबंध में**

प्रशासन के दिनांक 29.3.2023 के प्रेस नोट परिपत्र संख्या /1-16 7/2021 / एच एंड ई /खंड -IV के माध्यम से आवास एवं सम्पदा अनुभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, सचिवालय ने सामान्य पूल के तहत सरकारी आवास के आवंटन के लिए नया ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था । संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष /द्वारा सत्यापित सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर एक अनंतिम टाइप वारश्रेणीवार वरि/यता सूची तैयार की गई है जो यानी (सामान्य पूल)AAGA पोर्टल के होमपेज <http://aaga.andaman.gov.in> पर सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए उपलब्ध है। आवेदक 15/5/2023 को शाम 5 बजे तक सहायक सचिव सचिवालय को अपनी (आ एंड सं) वरियता से संबंधित दावे आपत्तियां /, यदि कोई हो, उनके संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्षके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा अनंतिम वरियता सूची को अंतिम वरियता सूची माना जाएगा।

**Igk;d lfpo ¼vk-,oa-la-½**